

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

02.11.2023

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

108/2015/प्रा.पत्र/2015

01.12.2015

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-खाद्य कारोबारकर्ता श्री धर्मेन्द्र मित्तल पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार मित्तल जाति महाजन निवासी फूलवारी का मोहल्ला वार्ड नं. 12 उनियारा जिला टोंक मैसर्स राहुल एजेन्सीज सदर बाजार पी.एन.बी. बैंक के सामने उनियारा जिला टोंक
- 2-मैसर्स राहुल एजेन्सीज सदर बाजार पी.एन.बी. बैंक के सामने उनियारा जिला टोंक
- 3-श्री अब्दुल तवाब पुत्र श्री अब्दुल सलाम निवासी 18 राजनगर बजरिया सवाई माधोपुर प्रोपरायटर मैसर्स न्यू भारत जनरल स्टोर स्टेशन रोड बजरिया, सवाई माधोपुर राज.
- 4-मैसर्स न्यू भारत जनरल स्टोर स्टेशन रोड बजरिया, सवाई माधोपुर राज.
- 5- श्री गिरीशा नीमा मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड विरजिनिया हाउस 37, जे.एल. नेहरू रोड कोलकाता जयपुर ब्रांच आई.टी.सी. लिमिटेड डी-24 ऑफिस नं. 201 दुर्लभ चेम्बर पृथ्वीराज रोड सी-स्कीम जयपुर
- 6-मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड विरजिनिया हाउस 37, जे.एल. नेहरू रोड कोलकाता जयपुर ब्रांच आई.टी.सी. लिमिटेड डी-24 ऑफिस नं. 201 दुर्लभ चेम्बर पृथ्वीराज रोड सी-स्कीम जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री नूर अहमद, संदीप पाठक, अर्णव सिंह उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 02.11.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.06.2015 को समय 01:00 पीएम पर मैसर्स राहुल एजेन्सीज सदर बाजार पी.एन.बी. बैंक के सामने उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री धर्मेन्द्र मित्तल पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार मित्तल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री धर्मेन्द्र मित्तल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु कागज के 1 कार्टून में 140 ग्राम पैक के लगभग 48 पैकेट पैकड अवस्था में नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी



नूडल्स सनफीस्ट ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री धर्मेन्द्र मित्तल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री धर्मेन्द्र मित्तल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बतवाकर कि यह नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी नूडल्स सनफीस्ट ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर ए.क्यू. 06 एवं पैकिंग की दिनांक 05 मई 2015 थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 140 ग्राम पैक के 16 पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी नूडल्स सनफीस्ट ब्राण्ड) 16 पैकेट में से चार-चार पैकेट वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1039 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1039 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री धर्मेन्द्र मित्तल पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार मित्तल ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स न्यू भारत जनरल स्टोर स्टेशन रोड बजरिया, सवाई माधोपुर राज. का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स न्यू भारत जनरल स्टोर से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड विरजिनिया हाउस 37, जे.एल. नेहरू रोड कोलकाता का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/3037 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /479/एक्ट/2015/479 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी नूडल्स सनफीस्ट ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा



3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री संदीप पाठक व श्री नूर अहमद ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण मसाला पैक से संबंधित है। यह मसाला पैक नूडल्स के पैक के अंदर होता है तथा अलग से बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होता है। मसाला पैक की सभी आवश्यक सूचनाएं बाहरी पैक (नूडल्स पैकेट) पर अंकित थी। बाहरी पैकेट को फाड़े बिना इसे प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। मसाला पैक पर यह भी अंकित है कि उक्त मसाला पैक पृथक से नहीं बेचा जा सकता है। यह मसाला पैक नूडल्स पैक के अंदर रखकर ही विक्रय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उक्त मसाला पैक पर मिथ्याछाप का प्रकरण नहीं बनता है। अतः प्रकरण ड्रॉप किया जावे। इस संबंध में अभिभाषक द्वारा अति. जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णय अधिकारी शहर दक्षिण जयपुर व खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर के अपील सं. 0090/2018, 91/2018, 92/2018 एवं 67/2018 तथा अन्य प्रकरणों में हुए निर्णय की प्रतियां पेश की गईं। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी नूडल्स सनफीस्ट ब्रान्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया। अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया है कि आउटर पैक पर सूचना अंकित थी, मसाला मिक्स पैक के अन्दर है जिसकी सूचना बाहर वाले पैकेट पर है एवं जैसा कि माननीय अपीलान्ट ट्रिब्यूनल जयपुर राजस्थाना द्वारा परिवाद संख्या 90/2018, 91/2018, 92/2018 एवं 67/2018 में माना है कि "It is not in dispute that such Masala Mix Pouch was not available for sale separately. Therefore, it cannot be tremed as food available for sae in the market. Such Masala Mix Pouch are kept inside the main packet of pre-package fod; it cannot be taken out without tearing the outer packet. And, admittedly on the Masala Mix Pouch it is mentioned that not to be sold in retail. अपीलीय अधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय में खाद्य सुरक्षा अधिनियम (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम 2.2.1(1), 2.2.2(1), (4), (6) व (7) का उल्लंघन नहीं माना।

अतःमाननीय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विपक्षीगण के विरुद्ध मिथ्याछाप (Mis-branded) का प्रकरण नहीं बनता है। अतः प्रकरण ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0